



संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आई&एटी/जीडीएल/विविध/77/3/2023

Ref No.: IRDAI/I&AT/GDL/MISC/77/3/2023

दिनांक / Date: 31/03/2023

विनियामक सैंडबाक्स से संबंधित परिचालनगत विषयों संबंधी दिशानिर्देश
Guidelines on Operational Issues pertaining to the
Regulatory Sandbox

आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के विनियम 13 के उप-विनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा विनियामक सैंडबाक्स से संबंधित परिचालनगत विषयों पर निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है, अर्थात् :-

In exercise of the powers conferred by sub regulation (3) of Regulation 13 of IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019, the Authority hereby issues the following guidelines on operational issues pertaining to the Regulatory Sandbox, namely :-

आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया
PROCEDURE FOR FILING OF APPLICATION

विनियामक सैंडबाक्स के माध्यम से बीमा कार्यक्रम में नवोन्मेषण के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

The following procedure shall be followed for the implementation of innovation in insurance programme through Regulatory Sandbox.

1) भारत में बीमा में नवोन्मेषण का संवर्धन करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन
Application for grant of permission for promoting innovation in insurance in India

क) भारत में बीमा में किसी भी नवोन्मेषण का संवर्धन करने अथवा कार्यान्वयन करने का इच्छुक आवेदक आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के विनियम 4 में दी गई किसी एक अथवा उससे अधिक श्रेणियों में "फार्म-आरजी-1" में आईआरडीएआई को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

a) An applicant desiring to promote or implement any innovation in insurance in India shall make an application to IRDAI in "Form-RG-1" in any one or more of the categories given in Regulation 4 of IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019.

2) भारत में बीमा में नवोन्मेषण
Innovation in insurance in India

क) प्रत्येक आवेदक आईआरडीएआई को प्रदर्शित करेगा कि नवोन्मेषण के लिए प्रस्ताव बीमा व्यापन में वृद्धि करने में सहायता करेगा अथवा पालिसीधारकों को संवर्धित सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।

a. Every applicant shall demonstrate to IRDAI that the proposal for innovation will help increase insurance penetration or provide enhanced services to the policyholders.

ख) प्रस्ताव केवल एक विनियामक छूट की अपेक्षा करने के प्रयोजन से नहीं किया जाएगा, बल्कि वह एक वास्तविक नवोन्मेषण होगा।

b. The proposal shall not be made merely for the sake of seeking a regulatory relaxation but shall be a genuine innovation.

ग) क्या प्रस्ताव एक नवोन्मेष है अथवा नहीं, इस संबंध में प्राधिकरण के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

c. The decision of the Chairperson of the Authority on whether the proposal is an innovative or not shall be final.

3) संपर्क का एकल स्थान – Single Point of Contact –

- क) आवेदक प्रस्तुत किये गये आवेदन के संबंध में आईआरडीएआई के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श (इंटरएक्टिंग) हेतु संपर्क के एकल स्थान के रूप में एक अनुभवी और जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करेगा।
- a. The applicant shall nominate an experienced and responsible person to be the single point of contact for interacting with IRDAI on the application submitted.
- ख) आईआरडीएआई भी आवेदक के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श (इंटरएक्टिंग) करने तथा आवेदक का मार्गदर्शन करने की व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए संपर्क का एक एकल स्थान (एसपीओसी) नामित करेगा।
- a. IRDAI shall also nominate a Single Point of Contact (SPOC) for interacting with the applicant and to facilitate provision of guidance to the applicant.
- ग) समस्त संचार संपर्क के इन एकल स्थानों के माध्यम से ही किया जाएगा।
- b. All communication shall be routed through these single points of contact.

4) विनियामक छूट Regulatory Relaxation

- क) आईआरडीएआई उस प्रस्ताव को सीमित विनियामक छूट प्रदान करने पर विचार कर सकता है जो भारत में बीमा में नवोन्मेषण को बढ़ावा देता है।
- a. IRDAI may consider granting limited regulatory relaxation to the proposal that promotes innovation in insurance in India.
- ख) ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जहाँ किये गये प्रस्ताव के लिए किसी विनियामक छूट की आवश्यकता नहीं है।
- b. No application shall be made where the proposal made has no requirement of any regulatory relaxations.
- ग) तथापि, बीमा अधिनियम, 1938 अथवा आईआरडीए अधिनियम, 1999 अथवा किन्हीं अन्य प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के संबंध में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
- c. However, no relaxation shall be offered in respect of compliance with the Insurance Act, 1938 or the IRDA Act, 1999 or any other applicable statutory provisions.

5) आवेदक के द्वारा ग्राहकों / सहभागियों को प्रकटीकरण Disclosure to the customers / participants by the applicant

- क) प्रस्ताव के संबंध में सहभागिता करनेवाले ग्राहकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा कि वे एक ऐसे प्रस्ताव के विषय में सहभागिता कर रहे हैं जिसके परिणाम निश्चित नहीं हैं।
- a. The customers participating in the proposal shall be clearly informed that they are participating in a proposal whose outcomes are not certain.
- ख) प्रस्ताव में सहभागिता करने के लिए ग्राहकों की इच्छा के संबंध में ग्राहकों की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी।
- b. Prior written consent of the customers shall be taken regarding their willingness to participate in the proposal.
- ग) आवेदक सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव में सहभागिता करनेवाले ग्राहकों ने एक स्वैच्छिक और अभिज्ञ विकल्प दिया है।
- c. The applicant shall ensure that the customers participating in the proposal have made a voluntary and conscious choice.
- घ) आवेदक संभावित ग्राहकों को विस्तृत निर्गम कार्यनीति देगा।
- d. The applicant shall furnish the detailed exit strategy to the prospects.

6) प्रस्ताव का आकार Size of the proposal

क) यदि निर्धारित समय के अंदर निम्नलिखित में से कोई भी एक प्राप्त किया जाता है तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।

- a. The proposal shall come to an end if any of the following is achieved within the stipulated time
 - i. ग्राहकों की संख्या – 1 लाख तक
Number of customers – up to 1 lakh
 - ii. वसूल किया गया प्रीमियम – रु. 5 करोड़ तक
Premium collected – Rs. up to 5 Crore
 - iii. प्राधिकरण द्वारा निर्णीत कोई अन्य मानदंड
Any other parameter(s) decided by the Authority.

7) परिभाषित श्रेणियों में नवोन्मेषण के लिए आवेदन Application for innovation in defined categories

- नवोन्मेषण के लिए कोई भी आवेदन आवेदक के द्वारा एक बीमाकर्ता की संबद्धता के साथ फाइल किया जाएगा।

Any application for innovation shall be filed by an applicant in association with an insurer.

- आवेदन में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रस्ताव को निष्पादित करने के लिए किन विनियामक उपबंधों में छूट की आवश्यकता है।

The Application shall specify in clear terms the regulatory provisions that need relaxation to execute the proposal.

- बशर्ते कि पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण एवं शिकायत निवारण प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों में छूट को सीमित करने का अधिकार आईआरडीएआई के पास सुरक्षित है। आगे यह भी शर्त होगी कि अपेक्षित छूट वर्तमान पालिसीधारकों के हितों के लिए प्रतिकूल नहीं होगी तथा बीमा व्यापन अथवा पालिसीधारकों के लिए पालिसी सर्विसिंग को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी।

Provided that IRDAI reserves the right to limit the relaxation in the matters concerning the protection of the interests of policyholders and grievance redressal procedures. Provided further that the relaxation sought shall not be prejudicial to the interests of the existing policyholders and shall help in furthering the insurance penetration or policy servicing to the policyholders.

- आवेदक मूल्यांकन किये गये प्रस्ताव में अंतर्निहित संभावित जोखिम तथा उक्त जोखिमों को दूर करने अथवा कम करने के लिए किये गये उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

The applicant shall specify the potential risks that are inherent in the proposal as evaluated and the measures that are taken to eliminate or mitigate the risks.

- क) आवेदक जो एक बीमाकर्ता है, प्रस्ताव के कार्यान्वयन की सावधानीपूर्वक निगरानी के लिए उपायों से अपने बोर्ड को अवगत कराएगा तथा इस विषय में प्रगति के संबंध में बोर्ड को अद्यतन जानकारी देता रहेगा।

- a. The applicant who is an insurer shall apprise their Board and put in place measures for closely monitoring the implementation of the proposal and keep the Board updated on the developments.

8) आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो

Application to conform to the requirements

क) फार्म – आरजी – 1 में आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है तथा आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के विनियम 6 और इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, अस्वीकृत किया जा सकता है। बशर्ते कि किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

a. An application in Form – RG-1, which is not complete in all respects and does not conform to the requirements as specified under Regulation 6 of IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019 and these guidelines are liable to be rejected. Provided that before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

ख) यदि आवश्यक हो, तो आईआरडीएआई एक वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदक को सूचित कर सकता है।

b. IRDAI may advise the applicant for a personal presentation, if required.

ग) आईआरडीएआई आवेदन अथवा अतिरिक्त सूचना / दस्तावेज, जैसी स्थिति हो, प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अंदर स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में आवेदक को सूचित करेगा।

c. IRDAI shall inform the applicant regarding the acceptance/non-acceptance of their application within 45 days from the date of receipt of the application or additional information/documents as the case may be.

घ) यदि आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, तो आवेदक आईआरडीएआई के पास एक समीक्षार्थ आवेदन ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर फाइल कर सकता है।

d. If the application is not accepted, the applicant may file a review application with IRDAI within 15 days from the date of receipt of such communication.

9) नवोन्मेषण के लिए प्रस्ताव के संबंध में व्ययों का लेखांकन व्यवहार

Accounting treatment of expenses on the proposal for innovation

क) प्रस्ताव पर किये गये व्ययों का अनुरक्षण अलग से किया जाएगा तथा वार्षिक रिपोर्ट में वे एक लाइन मद के रूप में दर्शाये जाएँगे। बीमाकर्ताओं के मामले में ऐसे व्यय शेयरधारकों के खातों में प्रभारित किये जाएँगे।

a. Expenses incurred on the proposal shall be maintained separately and shown as a line item in the Annual Report. In case of insurers such expenses shall be charged to the shareholder's accounts.

10) प्रयोग की अवधि के अंत में पालिसियों और सेवाओं का अंतरण –

Migration of policies and services at the end of experiment period —

क) प्रयोग की अवधि की समाप्ति के बाद प्रयोग की विद्यमानता समाप्त हो जाएगी।

a. The experiment will cease to exist post completion of the experiment period.

ख) प्रयोग की अवधि की समाप्ति के बाद, आवेदक बाजार में उक्त सेवा अथवा उत्पाद को प्रस्तावित करना जारी नहीं रखेगा, यदि विनियम/दिशानिर्देश/परिपत्रों में आवश्यक संशोधन विद्यमान न हों।

b. Post completion of the experiment period, the applicant shall not continue to offer the service or the product in the market, if necessary amendments to the regulation/guideline/circulars are not in place.

ग) आवेदक प्रयोग की अवधि के अंत में अन्य उत्पादों में अंतरण करने के लिए पालिसीधारकों को विकल्प उपलब्ध कराएगा। यदि पालिसीधारक सेवा अथवा उत्पाद के साथ जारी नहीं रहता, तो बीमाकर्ता प्रयोग की अवधि के दौरान उठाई गई वर्तमान देयताएँ स्वीकार करेगा।

c. The applicant shall provide choice to the policyholders to migrate to other products at the end of the experiment period. If the policyholder does not continue with the

service or product, the insurer shall honour the existing liabilities incurred during the experiment period.

11) व्यक्तिगत सूचना और डेटा सुरक्षा की गोपनीयता Confidentiality of personal information and data security

- क) आवेदक प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले, अभिलेखों और लेनदेनों के दुरुपयोग और हेर-फेर को रोकने हेतु पालिसीधारक डेटा की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उपाय और पर्याप्त प्रणालियाँ लागू करेगा।
- a. The applicant, before commencing the experiment, shall put in place measures to maintain confidentiality of policyholder data and adequate systems to prevent misuse and manipulation of records and transactions.
- ख) लागू किये गये रक्षोपायों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाएगी।
- b. The safeguards put in place shall be reviewed on a continuous basis.
- ग) जहाँ बीमाकर्ता, बीमा मध्यवर्ती और अन्य पक्षकार नवोन्मेषण को कार्यान्वित करने में संयुक्त रूप से संबद्ध हैं, वहाँ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बीमाकर्ता और बीमा मध्यवर्ती की है कि पालिसीधारक का व्यक्तिगत डेटा अन्य पक्षकार के द्वारा अंशतः नहीं रखा जाएगा अथवा प्रतिधारित नहीं किया जाएगा।
- c. Where an insurer, insurance intermediary and the third party are jointly involved in implementing the innovation, it is the responsibility of the insurer and insurance intermediary to ensure that personal data of the policyholder is not parted or retained by the third party.

12) शिकायतें Grievances

- क) बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती, जैसी स्थिति हो, के साथ शिकायतों के विषय में वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।
- a. The insurer or insurance intermediary, as the case may be, shall be dealt with grievances in accordance with the extant regulatory norms.

13) अन्य विषय Other Issues

- क) आवेदक प्रस्ताव के विरुद्ध किसी सरकारी अथवा अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना, लगाये गये दंडों, यदि कोई हों, की गई प्रशासनिक कार्रवाई तथा ऐसे दोहराव को रोकने के लिए अपने द्वारा किये गये उपचारात्मक कदमों सहित संपूर्ण विवरण के साथ आईआरडीएआई को तत्काल देगा।
- a. The applicant shall immediately report to IRDAI of any regulatory or supervisory action taken against the proposal by any Government or other Regulatory Authorities with full details including the penalty imposed, if any, administrative action taken and the remedial steps taken by it to prevent such recurrence.

14) रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ
Reporting Requirements

- क) आवेदक प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय आईआरडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा।
- a. The applicant shall submit the reports as specified by IRDAI while approving the proposal.

15) प्राधिकरण की अतिरिक्त शक्तियाँ
Further powers of the Authority

- क) स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति: इन दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता अथवा अर्थनिर्णय के संबंध में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष समय-समय पर उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
- a. Power of the Chairperson to issue clarifications: In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these Guidelines, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications from time to time.

16) निरसन खंड
Repeal Clause

- क) ये दिशानिर्देश विनियामक सैंडबॉक्स से संबंधित परिचालनगत विषयों संबंधी दिशानिर्देश संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/आरएसबी/139/08/2019 दिनांक 22 अगस्त 2019 का अधिक्रमण करते हैं।
- a. These Guidelines supersede the Guidelines on operational issues pertaining to the Regulatory Sandbox ref no: IRDAI/INT/GDL/RSB/139/08/2019 dated 22nd August, 2019.

हस्ता./Sd./-
अध्यक्ष, आईआरडीएआई/Chairman, IRDAI



फार्म – आरजी / Form - RG – 1

(आईआरडीएआई “विनियामक सैंडबाक्स से संबंधित परिचालनगत विषयों संबंधी दिशानिर्देश” का दिशानिर्देश 1 देखें)
(see Guideline 1 of IRDAI “Guidelines on operational issues pertaining to the Regulatory Sandbox”)

**आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019 के अधीन आवेदन
Application under IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019**

खंड/SECTION – 1	
1	आवेदक का नाम Name of the Applicant आवेदक का पता, संपर्क का विवरण Address, Contact Details of the Applicant
2	आवेदक की श्रेणी (बीमाकर्ता / बीमा मध्यवर्ती / अन्य) Category of the Applicant (Whether Insurer / Insurance Intermediary / Others)
3	आवेदन की श्रेणी (एक या उससे अधिक) Category of application (one or more)
	क) बीमा की अपेक्षा या वितरण a. Insurance Solicitation or Distribution
	ख) बीमा उत्पाद b. Insurance Products
	ग) जोखिम-अंकन c. Underwriting
	घ) पालिसी और दावों की सर्विसिंग d. Policy and Claims Servicing
4	आवेदक का विवरण (बीमाकर्ता/मध्यवर्ती को छोड़कर अन्य) Details of the applicant (other than insurer/intermediary)
	क) कारपोरेट संरचना – (कंपनी/सीमित देयता भागीदारी फर्म/सहकारी सोसाइटी/अन्य) (विनिर्दिष्ट करें) a. Corporate structure - (Whether Company/Limited Liability Partnership Firm/Co-operative society/others (to be specified))
	ख) पंजीकरण संख्या / सीआईएन सं. और निगमन या स्थापना की तारीख b. Registration No. / CIN No. & Date of Incorporation or Establishment
	ग) प्राथमिक व्यावसायिक कार्यकलाप c. Primary business activity
	घ) क्या आवेदक भारत में या विदेश में विनियमित संस्था है। यदि हाँ, तो विनियामक प्राधिकरण का नाम d. Whether the applicant is a regulated entity in India or abroad. If so, name of the regulatory authority.
	ङ) 10% से अधिक ईक्विटी धारित करनेवाले शेयरधारकों के नाम e. Name of shareholders holding more than 10% equity
	च) प्रस्ताव के लिए जुटाई गई विशिष्ट निधियों का विवरण, यदि कोई हों f. Details of specific funds raised, if any, for the proposal.
5	आवेदक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और संपर्क के विवरण Names and contact details of the Chief Executive Officer of the applicant
6	आवेदक के संपर्क के एकल स्थान (सिंगल प्वाइंट) का नाम और संपर्क का विवरण Name and contact details of (Single Point) of Contact of the applicant

7	क्या प्रस्ताव में किसी अन्य व्यक्ति / संस्था का लाभकारी हित है Whether any other person/ entity has beneficial interest in the proposal
खंड/SECTION - II	
8	प्रस्ताव का ब्योरा (प्रति प्रश्न केवल 200 शब्दों तक) Details of the proposal (up to 200 words per question only)
	क) नवोन्मेषण का विवरण दें। a. Describe the innovation.
	ख) स्पष्ट करें कि कैसे प्रस्तावित नवोन्मेषण आईआरडीएआई की विनियामक परिधि के अंतर्गत आता है b. Explain how the proposed innovation falls under the regulatory ambit of IRDAI.
	ग) प्रस्ताव के लिए प्रयुक्त अंतर्निहित प्रौद्योगिकी का वर्णन करें, यदि कोई हो। c. Describe the underlying technology, if any, used to offer.
	घ) क्या संकल्पना का कोई प्रमाण विद्यमान है? यदि हाँ, तो संबंधित पूर्व अनुभव – इसके लिए प्रयोग के मामलों का परीक्षण प्रस्तुत करें। d. Is any Proof of Concept in place? If yes, please provide relevant prior experience – testing of use cases for the same.
	ङ) विवरण दें कि वर्तमान पारिस्थितिक तंत्र (ईको-सिस्टम) में मौजूदा अंतरालों, यदि कोई हों, का यह कैसे समाधान करेगी। e. Describe how it would be addressing the existing gaps, if any in the current eco-system.
	च) वर्णन दें कि यह वर्तमान बाजार प्रस्तावों से कैसे भिन्न है f. Description of how it differs from current market offerings
	छ) प्रस्तावित लाभ, प्रत्याशित परिणाम और सफलता के मानदंड g. Benefits offered, expected outcomes and success parameters
	ज) प्रयोग का आकार h. Size of the experiment
	झ) पूर्वानुमानित जोखिम और प्रस्तावित जोखिम प्रबंध रणनीति i. Risks foreseen and proposed risk management strategy
	ञ) पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई j. Steps proposed for protection of policyholders' interests
	ट) किये जानेवाले प्रकटीकरणों तथा पालिसीधारकों से प्राप्त की जानेवाली सहमति की प्रतिलिपि k. Copy of disclosures to be made and consent to be obtained from policyholders
	ठ) स्पष्ट करें कि प्रस्तावित नवोन्मेषण से उद्योग/पालिसीधारक कैसे लाभान्वित होंगे। l. Explain how the industry/policyholders would benefit from the proposed innovation.
	ड) आवेदक और पालिसीधारकों के लिए निर्गम की कार्यनीति m. Exit strategy for the applicant and policyholders
	ढ) विवरण दें कि विनियामक सैंडबॉक्स से बाहर आने के बाद आप कैसे विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करना चाहते हैं। n. Describe how you intend to meet the regulatory requirements after exit from the regulatory sandbox.
9	प्रस्ताव के अंतर्गत निष्पादित किये जानेवाले परीक्षण का विवरण – Details of testing that will be performed under the proposal -
	क) क्या कोई विनियामक अवरोध है, कृपया स्पष्ट करें। a. Is there any regulatory barrier, please explain?
	ख) छूट दी जानेवाली विनियामक अपेक्षाएँ। b. Regulatory requirements to be relaxed.

	<p>ग) क्या उक्त नवोन्मेषण किन्हीं अंतर-विनियामक सरोकारों अथवा संघर्षों अथवा अनुमोदनों आदि को संबद्ध करता है? कृपया विवरण प्रस्तुत करें। c. Does the innovation involve any inter-regulatory concerns or conflicts or approvals etc. Please provide details.</p>
	<p>घ) प्रत्याशित प्रमुख माइलस्टोनों के साथ, प्रस्तावित जाँच परिदृश्यों, परीक्षण योजना, नियंत्रणों का विस्तार से वर्णन करें। d. Describe in detail the proposed test scenarios, test plan, controls along with the expected key milestones.</p>
	<p>ङ) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी योजना e. Monitoring plan to ensure compliance</p>
10	<p>आवेदकों में से एक, जो बीमाकर्ता / मध्यवर्ती न हो, के संदर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :- Please attach the following documents w.r.t. one of the applicants not being an insurer / intermediary:-</p>
	<p>क) एमओए और एओए / एलएलपी विलेख अथवा समतुल्य a. MOA & AOA/ LLP Deed or equivalent</p>
	<p>ख) पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण b. Audited financial statements of last financial year</p>
	<p>ग) सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा प्रमाणित पिछले वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार निवल मालियत (नेट वर्थ) c. Net worth as at end of last financial year certified by a chartered accountant</p>
	<p>घ) आवेदक द्वारा किये गये वित्तीय क्षेत्र में विगत नवोन्मेषण, यदि कोई हो, का विवरण d. Details of the past innovation in financial sector, if any, carried out by the applicant</p>



**इस घोषणा पर आवेदक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा
प्रबंध निदेशक, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए
THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY CHIEF EXECUTIVE OFFICER OR
MANAGING DIRECTOR OF THE APPLICANT AS THE CASE MAY BE**

- 1) हम इसके द्वारा उक्त प्रस्ताव के लिए अनुमति की अपेक्षा करते हुए आवेदन करते हैं।
We hereby apply for seeking permission for the proposal.
- 2) हम समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीआई (विनियामक सैंडबाक्स) विनियम, 2019, एवं “विनियामक सैंडबाक्स से संबंधित परिचालनगत विषयों संबंधी दिशानिर्देश” को समझते हैं तथा पुष्टि करते हैं कि:
We understand IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019, IRDAI “Guidelines on operational issues pertaining to the Regulatory Sandbox” as amended from-time-to-time and confirm that:
 - क) उक्त प्रस्ताव हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन करने के हम पात्र हैं;
a. We are eligible to apply for grant of permission for the proposal;
 - ख) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सही तौर पर और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना प्रस्तुत की है जो अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संगत माने जा सकते हैं;
b. To the best of our knowledge and belief, truly and completely answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of grant of permission;
 - ग) हम वचन देते हैं कि उक्त प्रस्ताव के संबंध में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए हम उत्तरदायी होंगे तथा उसके अंतर्गत किन्हीं कानूनी दायित्वों सहित उसके अंतर्गत सभी दायित्वों का निर्वहण करने के लिए बाध्य होंगे;
c. We undertake that we shall be responsible for every action taken in respect of the proposal and shall be liable to discharge all the obligations thereunder including any legal obligations thereunder;
 - घ) हम वचन देते हैं कि पालिसीधारकों से संबंधित व्यक्तिगत सूचना दिशानिर्देश 11 के अनुसार संभाली जाएगी।
d. We undertake that the personal information pertaining to the policyholders is handled as per Guideline 11.
 - ङ) हम वचन देते हैं कि पालिसीधारकों की शिकायतों पर कार्रवाई समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर की जाएगी।
e. We undertake that the grievances of policyholders would be attended to within the time frame in accordance by the Authority from time to time.

**(मुख्य कार्यकारी अधिकारी/Chief Executive Officer)
(प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर /Signature of the Managing Director)**

स्थान/ Place:
दिनांक/ Date :